The Himachal Pradesh Repealing Act, 2023

Act No. 11 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 30 नवम्बर, 2023 / 09 मार्गशीर्ष, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 9 नवम्बर, 2023

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–14/2023–लेज.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2023

(2023 का विधेयक संख्यांक 11) को दिनांक 02–11–2023 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2023 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

ओदश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2023

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।

2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

3. व्यावृत्तियां।

अनुसूची।

2023 का अधिनियम संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2023

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 02 नवम्बर, 2023 को यथा अनुमोदित)

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2023 है।

2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन.––अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

3. व्यावृत्तियां.––इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति का निरसन,–

(क) किसी अन्य अधिनियमिति, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गई हो, पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ख) किसी भी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को, जो इस समय विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा; या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ङ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन, उसके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्रवाई या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या से किसी निर्मोचन या उन्मोचन या पूर्व मंजूर की गई क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(च) विधि के किसी भी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी कि वे किसी भी प्रकार से एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे, क्रमशः अभिपुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुए हों, प्रभावित नहीं करेगा; या

(छ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ज) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा;

और कोई भी ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और कोई भी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

वर्ष 1	अधिनियम संख्या 2	संक्षिप्त नाम 3	निरसन का विस्तार 4
1882	15	प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882	सम्पूर्ण
1884	12	कृषक उधार अधिनियम, 1884	सम्पूर्ण
1887	9	प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887	सम्पूर्ण
		मण्डी लघु वन उपज दोहन एवं नियति अधिनियम, 1997 (विक्रमी सम्वत्) एवं 1941	सम्पूर्ण
		चम्बा लघु वन उपज दोहन एवं नियति अधिनियम, 2003 (विक्रमी सम्वत्)	सम्पूर्ण
1953	7	पंजाब तम्बाकू विक्रेता फीस निरसन अधिनियम, 1953	सम्पूर्ण
1955	6	हिमाचल प्रदेश वैयक्तिक वन अधिनियम, 1954	सम्पूर्ण
1965	17	पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965	सम्पूर्ण
1968	15	पंजाब वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कराधान (हिमाचल प्रदेश निरसन) अधिनियम, 1968	सम्पूर्ण
1984	22	हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1984	सम्पूर्ण

2000	19	हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापना में) संरक्षण अधिनियम, 1999	सम्पूर्ण
2003	21	हिमाचल प्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2003	सम्पूर्ण
2008	14	हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदनों का अन्तरण) अधिनियम, 2008	सम्पूर्ण

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING ACT, 2023

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Repeal of certain enactments.
3. Savings.
THE SCHEDULE.

—————

Act No. 11 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING ACT, 2023

(AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE GOVERNOR ON 2ND NOVEMBER, 2023)

AN

ACT

to repeal certain enactments.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Repealing Act, 2023.

2. Repeal of certain enactments.—The enactments specified in THE SCHEDULE are hereby repealed.

3. Savings.—The repeal by this Act of any enactments shall not,—

(a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or

(b) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force; or

(c) affect the previous operation of any enactments so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or

(d) affect any right, title, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repealed; or

(e) affect any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim, or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing under any enactment so repealed; or

(f) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively, may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed; or

(g) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any enactment so repealed; or

(h) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment, as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act had not been passed.

THE SCHEDULE

(*see* Section 2)

Year 1	Act Number 2	Short Title 3	Extent of Repeal 4
1882	15	The Presidency Small Cause Courts Act, 1882	The Whole
1884	12	The Agriculturists Loans Act, 1884	The Whole
1887	9	The Provincial Small Cause Courts Act, 1887.	The Whole
-	-	The Mandi Minor Forest Produce Exploitation and Export Act, 1997 (Vikrami Samvat) and 1941.	The Whole
-	-	The Chamba Minor Forest Produce Exploitation and Export Act, 2003 (Vikrami Samvat).	The Whole
1953	7	The Punjab Tobacco Vend Fees (Repealing) Act, 1953.	The Whole
1955	6	The Himachal Pradesh Private Forest Act, 1954.	The Whole
1965	17	The Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965.	The Whole

1968	15	The Punjab Professions, Trades, Callings and Employment Taxation (Himachal Pradesh Repealing) Act, 1968.	The Whole
1984	22	The Himachal Pradesh Preservation of Forests and Maintenance of Supplies of Forest Based Essential Commodities Act, 1984.	The Whole
2000	19	The Himachal Pradesh Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999.	The Whole
2003	21	The Himachal Pradesh Paramedical Council Act, 2003.	The Whole
2008	14	The Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Transfer of Decided and Pending Cases and Applications) Act, 2008.	The Whole

---

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 18 नवम्बर, 2023

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–17/2023–लेज.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 16) को दिनांक 14–11–2023 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2023 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

ओदश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 10 का संशोधन।
4. धारा 16 का संशोधन।
5. धारा 17 का संशोधन।
6. धारा 23 का संशोधन।
7. धारा 24 का संशोधन।